UPKU010011152026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

उपस्थित–**संजीव कुमार त्यागी, एच०जे०एस०–UP2018**

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या **– 491/2026**

सैफअली उर्फ सैफ बउम्र 18 वर्ष पुत्र फकरूद्दीन, सा०– बांसगांव, थाना– विशुनपूरा, जिला–कुशीनगर।

––– प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

–––विपक्षी

मु०अ०सं०– 26/2026
धारा–69,352,351(2) B.N.S.
थाना– विशुनपूरा,
जनपद– कुशीनगर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

1– यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सैफ अली उर्फ सैफ द्वारा इस याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में उसे अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

2– अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 28–01–2025 को वादिनी मुकदमा सोगरा खातून द्वारा थाना विशुनपुरा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह करीब तीन साल पहले से सैफ से मोबाइल से बात करती थी। बाद में वह उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब वह शादी का दबाव बना रही है तो वह शादी करने से इन्कार कर रहा है तथा एक महीने से अपना मोबाइल बन्द कर लिया है। उसके पिता से बताया गया तो वे गाली देने लगे तथा धमकी भी दे रहे हैं। उसके घर वाले उसे घर से बाहर कर दिए हैं। उसकी उम्र 19 वर्ष है। सैफ एक साल से शारीरिक संबंध बनाता था। तदनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई।

3–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त का कोई सम्बन्ध पीड़िता से नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पीड़िता की उम्र में अभियुक्त से बड़ी है। फर्जी व बनावटी तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को फंसाया गया है। अभियुक्त कथित घटना के समय या उसके बाद

घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। गांव की राजनीतिक रंजिश के कारण अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की तिथि व समय अंकित नहीं किया गया है। वादिनी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपनी उम्र 19 वर्ष अंकित किया है जबकि वह उससे ज्यादा उम्र की है। हाईस्कूल के अंकपत्र में अभियुक्त की जन्मतिथि 02–10–2007 अंकित है। जिस समय पीड़िता द्वारा शारीरिक संबंध बनाया जाना कहका जा रहा है उस समय अभियुक्त नाबालिग था तथा उसकी उम्र 17 वर्ष से कम थी। अभियुक्त की पीड़िता से मोबाइल से कोई बात नहीं होती थी। अभियुक्त के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। अभियुक्त जमानत मुचलका दाखिल करने को तैयार है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रदान करने की याचना की गई।

4–विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा बहस में कहा गया है कि अभियुक्त ने वादिनी/पीड़िता को शादी का झांसा देकर लगभग एक वर्ष से शारीरिक सम्बन्ध बनाया जा रहा था तथा वादिनी द्वारा शादी की बात करने पर शादी करने से इन्कार कर दिया गया तथा उसके पिता द्वारा पीड़िता को जान से मारने की धमकी व गाली गुप्ता दी गयी। तदनुसार जमानत प्रार्थना खारिज करने की याचना की गयी।

5–मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

6– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार ही पीड़िता बालिग है तथा शारीरिक संबंध बनाने में दोनो पक्षों की सहमति भी प्रतीत होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का अंकन नहीं है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उ०प्र०, प्रयागराज द्वारा जारी अंकपत्र में अभियुक्त की जन्मतिथि 02–10–2007 अंकित है जिससे स्पष्ट है कि पीड़िता अभियुक्त से उम्र में अधिक है। अभियोजन द्वारा पीड़िता का कोई आपराधिक इतिहास होना नहीं बताया गया है। अतः उक्त दिये गये कारणों के मद्देनजर अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त सैफअली उर्फ सैफ द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों पर स्वीकार किया जाता हैः–

1– अभियुक्त आरोप पत्र दाखिल होने की स्थिति में कमिटल, आरोप व धारा 351 बी.एन.एस.एस. के स्तर पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

2– अभियुक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति का कोई उत्पीड़न, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या विवेचक के समक्ष प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3– अभियुक्त संबंधित न्यायालय की अनुमति के बिना देश से बाहर नही जायेगा।

4– अभियुक्त आरोप पत्र दाखिल होने के एक माह के अन्दर मु०–1,00,000/–रूपये का निजी मुचलका व इसी धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय में दाखिल करेगा। अन्यथा की स्थिति में उसकी अग्रिम जमानत स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

यदि अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने से पूर्व पुलिस द्वारा वर्तमान मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो अभियुक्त द्वारा मु०– 1,00,000/– रूपये का निजी मुचलका व इसी धनराशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर उसे अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाय।

दिनांकः 24.03.2026
R.P. Shukla

(संजीव कुमार त्यागी)
सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by SANJEEV KUMAR TYAGI
Date: 2026.03.24 19:04:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court